Seventeenth Loksabha

>

Title: Further discussion on Welfare measures for Anganwadi workers and Anganwade helpers.

HON. CHAIRPERSON: Now, we take up Private Members' Business. Item No. 22: welfare measures for anganwadi workers and anganwadi helpers.

Shri Jagdambika Pal *ji* has been the night watchman for quite a long time. I ask him to continue his speech.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

1. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोज़गार को नियमित करना;
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो उनकी समाज के प्रति सेवाओं के योगदान के महत्व को दर्शाए;

4. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनका उन्नयन करना; और

देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना ।"

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय । आज का सदन निश्चित तौर से इस बात का गवाह बनेगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जगदम्बिका पाल जी, एक मिनट रुकिए । छ: बजे तक हम इस मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद ज़ीरो ऑवर लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि आज यह सदन निश्चित तौर से इस बात के लिए साक्षी है कि संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 को अमेंड किया गया है । इसे आज बहुत विस्तार से अमेंड करके, पूरे देश में एक ट्रांसपेरेंट ढंग से पारित कराया गया है, इस बिल के पारित होने के बाद पूरे देश के लिए जो संशोधन हुए हैं, उनसे माइन्स एंड मिनरल्स का...(व्यवधान) मुझे भूमिका तो बनाने दीजिए । आज यह सदन इस बात के लिए साक्षी है और उसने एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसमें आपने भी भाग लिया है ।

आज यह संघीय ढांचे का पहला स्वरूप होगा कि उस माइन्स एण्ड मिनरल एक्ट के द्वारा देश का एक पैसा-पैसा और राजस्व आएगा, उसे केन्द्र सरकार नहीं, बल्कि आज केन्द्र सरकार उस बिल को पारित करके एक-एक पैसा राज्य सरकारों को देगी । निश्चित तौर से अपने आप में यह सदन इस बात के लिए साक्षी है और इतिहास कायम कर रहा है ।

दूसरी बात यह है कि यहां दूसरा भी बिल पास हुआ है । वह बात, जिसको लेकर 30-35 वर्षों से एससी/एसटी का आंदोलन तमिलनाडु में चल रहा था, यहां राज्य सरकारें हैं, संघीय ढांचे का इससे बेहतर स्वरूप क्या हो सकता है कि पूरा विश्व देख रहा होगा कि आज भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, भारत की गौरवशाली परंपराएं कितनी मजबूत हैं कि संघीय ढांचे में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद उस तमिलनाडु के एससी/एसटी के आंदोलन को एड्रेस करके कानून बनाकर उनके नाम पर उपांतरिक करने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है । निश्चित तौर से सब सदस्य इस सदन के सौभाग्यशाली सदस्य हैं, जो इसके साक्षी बनेंगे ।

आज प्राइवेट मैम्बर बिल में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर मुझे आपने भाग लेने का मौका दिया । आज आजादी के बाद पहली बार, यह ठीक है कि आईसीडीएस था, आंगनबाड़ी की भूमिकाएं थीं, आंगनबाड़ी के लोग कार्यक्रम करते थे, गांव में निश्चित तौर से बच्चों के कुपोषण के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए या पोषण स्तर के लिए वे काम करती थीं, हमारी माननीय मंत्री स्मृति जी बैठी हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद यह तय किया कि भारत में कुपोषण से आज भी बच्चे कुपोषित हैं, उन कुपोषित बच्चों को हम देश से समूल नष्ट करेंगे । यह निर्णय लेने का काम पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया । राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने तय कर लिया कि इस देश में कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जाएगा । आपने देखा है कि वह पोषण अभियान टू है । बच्चा पैदा होने के 6 साल तक, अभी तीन साल तक के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों, गर्भवती माताओं या दूध पिलाती हुई जो हमारी माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर को कैसे समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाए, इसके लिए तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है । मैं इसके लिए निश्चित तौर से माननीय मंत्री स्मृति जी को बधाई दूंगा । उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया । इस पर कभी ध्यान नहीं गया होगा कि उन बच्चों में जो ठिगनापन है, ऐसे 6 प्रतिशत हैं । हम तीन सालों में हर साल 2 प्रतिशत ऐसे बच्चे, जो किन्हीं कारणों से बोने होते हैं, ठिगने होते हैं, हम यह तीन वर्षों में समूल नष्ट करेंगे कि बच्चों में

ठिगनापन या बौनापन न हो । इसी तरह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका जो अल्प पोषण है, उसमें भी 6 प्रतिशत की कमी को हर साल 2 प्रतिशत की कमी लाई जाएगी । 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया का प्रसार होता है, जिसका 9 प्रतिशत है । उसको प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से तीन सालों में समूल नष्ट करेंगे, जिससें कोई बच्चा एनीमिया से प्रभावित न हो । 15 से 49 वर्ष की किशोरियां हैं, बहनें हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको एनीमिया होता है । आप गांव में देखते हैं कि किस तरीके से महिलाएं एनीमिया से प्रभावित रहती हैं, ऐसा लगता है कि वे सूख गई हैं । उनका प्रसार भी 9 प्रतिशत है, उनका भी प्रति वर्ष 3 प्रतिशत अगले तीन सालों में कम करने की बात है । जो बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते हैं, उन बच्चों की भी संख्या 6 प्रतिशत है, ऐसे बच्चों को भी 2 प्रतिशत की दर से हर साल सही करने का लक्ष्य है ।

महोदय, हमने एक रोडमैप बनाया, हमारी सरकार ने एक रोडमैप बनाया है । आजादी के बाद से लगातार आप गांव देखिए कि बच्चे किस तरह से मालन्यूट्रिशन में कुपोषित हैं, बच्चे किस तरीके से कमजोर हैं, किस तरीके से उनका पेट बढ़ा हुआ है, हाथ-पैर कितने पतले-पतले होते हैं, उनकी मां एनीमिया से ग्रसित हैं । निश्चित तौर से ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य में इस कुपोषण को इस देश से समाप्त करने का संकल्प सरकार ने लेकर, यह मैं 'आत्मनिर्भर भारत' की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की स्पर्धा में खड़े होने के लिए हमारी पीढ़ियों को तैयार करने का काम निश्चित तौर से यह सरकार करने जा रही है ।

हमारे आंगनबाड़ी केन्द्रों का पहले काम क्या था । उनका काम केवल यह था कि उनको पुष्टाहार मिल जाए और वे उस पुष्टाहार का वितरण करते रहते थे । पहले आंगनवाड़ी केन्द्र कहीं दूर ऐसे ही पड़े रहते थे । कितने आंगनवाड़ी केन्द्र फंक्शनल होते थे और कितने नहीं होते थे । इस सदन में हमेशा इस बात की चर्चा होती थी । हम उसके प्रति चिंता भी व्यक्त करते थे । निश्चित तौर से सरकारें पैसा देती थीं । वे चाहती थीं कि पुष्टाहार योजना के माध्यम से मातृत्व और बच्चे के कुपोषण को दूर करें । आज यह फैसला लिया गया है कि अब जो भी आंगनवाड़ी के केन्द्र बनेंगे, वे हमारे स्कूल के कैम्पस में बनेंगे, जिससे कि वे बच्चे

जो अभी स्कूल्स में नहीं जाते हैं, वे बच्चे आंगवाड़ी केन्द्र पर जाकर फैमलियर होंगे । बच्चों में विकास का काम उन आंगनवाड़ी केन्द्रों से होगा । इस तरह से छः काम निर्धारित किए गए हैं । आज उन आंगनवाड़ी केन्द्रों से सप्लिमेंट्री न्यूट्रीशंस, जैसे हम बच्चों को वह बांटने का काम करते थे, उसी आंगनवाड़ी केन्द्र से इस पोषण अभियान के तहत रेडी टू इट, आज एक मेन्यू बना रहे हैं, हम उनको गर्म और तैयार भोजन दे रहे हैं ।

इसी तरह प्री-स्कूल नॉन-फॉर्मल एजुकेशन का विषय है । जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, तब तक गांव में बच्चे की मां उनके बौद्धिक विकास के लिए उस तरह से देखभाल नहीं कर सकती हैं । वे आंगनवाड़ी केन्द्र पर जाते हैं । अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी के माध्यम से एक फैसला किया गया है कि स्कूल जाने से पहले की एज में जो बच्चे तीन साल या छः साल के हैं, उनको उस अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में भेजा जाए ।

इसी तरह से उनका तीसरा काम न्यूट्रीशंस और हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है । इसे भी दो पार्ट में किया जाएगा, एक न्यूट्रीशंस का पार्ट रहेगा और दूसरा हेल्थ एजुकेशन का पार्ट रहेगा । आंगनवाड़ी की बहनें, कार्यकर्ती या सहायिका पूरे देश के गांवों में व्यापक तौर पर इस काम को कर रही हैं । पहली बार इस तरह का एक अभियान चलाया गया ।

आपने देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर आज कोविड-19 का इम्यूनाइजेशन हुआ है, निश्चित तौर से आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान नहीं चला है, जैसा कि भारत में नरेन्द्र मोदी की सरकार में इस कोविड-19 के लिए कार्यक्रम चला है । निश्चित तौर से उस इम्यूनाइजेशन में जहां आशा कर्मियों का रोल है, वहीं उसमें पर आंगनवाड़ी की बहनों का भी रोल है । इस तरह से इम्यूनाइजेशन की जिम्मेदारी भी उनकी है ।

हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने काफी विस्तार से वेलनेस सेंटर्स के बारे में कहा है, अभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर तमाम राज्य की योजनाओं के लिए जो चेक-अप केन्द्र लगते हैं, उनमें आंगनवाड़ी की बहनें भी सहयोग कर रही हैं ।

इस तरह से आज रेफरल सर्विसेज में पहली बार हमारे आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के विकास के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, मां को एजुकेट करने के लिए बच्चों की पोषण की व्यवस्था के लिए आज उन आंगनवाड़ी केन्द्रों को फंक्शनल और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना कर आगे किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि हम केवल इनको काम नहीं दे रहे हैं, बल्कि पहली बार इस बात की चिंता माननीय मंत्री जी ने भी है कि आज आंगनवाड़ी की बहनें काम कर रही हैं । मैंने पिछले दिनों आपसे यह कहा था कि उनके मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूं । शायद आजादी के बाद पहली बार मात्र तीन हजार रुपए आंगनवाड़ी की बहनें पाती थी उसे एक साथ 1500 रुपए बढ़ा कर हमारी सरकार ने 4500 रुपए कर दिया है । इसी तरह से सहायिकाओं के लिए भी काम किया गया है । इसके साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी काम किया गया है । आपने देखा होगा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बेनिफिट्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स । आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो सभी महिलाएं हैं, चाहे वे कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, जो एज ग्रुप में 18 से 50 साल की हैं, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से कवर किया जा रहा है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका जी आज भी नाइट वाचमैन होना है ।

श्री जगदम्बिका पाल: हां जी ।

माननीय सभापति : मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं समझता हूं कि अधिष्ठाता महोदय आपने खुद भी इसमें भाग लिया है । हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आंगनवाड़ी के हर कार्यकर्ती और सहायिका को कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी बताएंगे । इसी तरह से जो 18 वर्ष से 59 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं और जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कवरअप नहीं हो पाई हैं, तो हमने ऐसा किया है कि अगर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई बहन नहीं कवर हुई है, तो उसके लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है । अर्थात् किसी न किसी योजना से उन्हें सोशल सिक्योरिटी

देने का काम किया गया है । अगर वह इस देश की राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रमों को पूरा करने का काम कर रही है, तो उसकी सुरक्षा का ख्याल नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी । इस तरह से उन्हें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल कवर भी दिया गया है कि कभी दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना न हो जाए । आंगनबाड़ी की वे कार्यकर्ताएं जो 51 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के उम्र की हैं, जो इन दोनों प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर नहीं हो पाई हैं, तो उनके लिए एक योजना मोडिफाइड की गई है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना के द्वारा उन्हें पूरा लाइफ कवर दिया गया है । इस तरह से यह एक चिंता है कि हम किस तरह से आंगनबाड़ी बहनों को कवर देंगे ।

आज हम आंगनबाड़ी सेंटर्स को डेवलेप कर रहे हैं । पहले आंगनबाड़ी केन्द्र बन जाते थे । सांसद जिले में 'दिशा' की बैठक की समीक्षा करते थे । एक तरफ आंगनबाड़ी केन्द्र बना और दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केन्द्र अबंडेन्ड हो जाता था, गिरने लगता था । जिस तरह की कार्यदायी संस्थाएं थीं कि राज्यों से शिकायतें आती थीं कि वहां पर बच्चों के साथ बैठा नहीं जा सकता था । मैंने एक-दो घटनाओं का जिक्र भी किया है । लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर लिया है कि अब आंगनबाड़ी केन्द्र के बिल्डिंग तथा अपग्रेडेशन का कार्य करने के लिए भारत सरकार 2,00,000 रुपये देगी । यह एक बड़ा फैसला है कि हम देश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड करने जा रहे हैं । इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर्स सेंटर्स के मेंटेनेंस के लिए भी 3,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे है । यह चिंता किसे है कि हम अपग्रेडेशन भी करें और निश्चित तौर पर उस केन्द्र की ड्यूरेब्लिटी भी रहे और उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम 3,000 रुपये देंगे । इतना ही नहीं उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती थी, आज प्रति 5 वर्ष 10,000 रुपये हर आंगनबाड़ी केन्द्र को फर्निचर और इक्विपमेंट के लिए देंगे । मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं । हम यह चाहते हैं कि देश के प्रत्येक बच्चे के भविष्य को उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुधार सकें और उसका मुस्तकबिल बना सकें ।

आज एक प्रश्न का उत्तर इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने दिया था कि हमारी यह कोशिश है कि कॉर्पोरेट, सोशल रिस्पॉन्सब्लिटी से भी आंगनबाड़ी केंद्रों को दें । हमारी सरकार ने 1,303 आंगनबाड़ी केन्द्र सीएसआर के माध्यम से बनवाया है । निश्चित तौर पर यह हमारी पहल है कि हम अपने कॉर्पोरेट, सोशल रिस्पॉन्सब्लिटी, चाहे वह सरकार की हो या पीएसयूज़ की हो, आज हम उसके लाभ से केवल सड़क, खड़ंजा, हैंडपंप या सोलर लाइट नहीं, बल्कि ऐसी जगह भी पैसा दें, जहां हम बच्चों के भविष्य के लिए काम करें । किसी देश का भविष्य क्या होता है? उस देश की युवा पीढ़ी कैसी हो, उस देश के बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो, उसे कैसी ग्रूमिंग दी गई है? इस तरह के सेंटर्स हर गांव में बनाकर दिए जाएंगे । पहले इस प्रकार के कम्युनिटी सेंटर्स गांव में कहां थे कि वहां पर बच्चे इकट्ठा हों, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए । ट्रेनिंग के विषय पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से आंगनबाड़ी की बहनों को आज ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कूल की टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा ।

इसी तरह से जो पोषण अभियान है, उस पोषण अभियान के तहत आज 6,44,000 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट फोन देने का काम किया गया है । हम बताएंगे कि उनके लिए कितने मॉडल एप बनाए गए हैं? आज देश में पहली बार आंगनबाड़ी वर्कर इस तरह की योजनाओं को कर रही हैं । आज 6,44,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्ट फोन मिल चुका है । हमारी सरकार ने 19,203 सुपरवाइजर्स को भी स्मार्ट फोन देने का काम किया गया है, जिससे कि छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जा सके ।

इसी तरह हमने 359 जिलों में इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज़ और कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन दोनों को एक साथ रोलआउट किया है, जिससे आइसीडीएस और सीएस का कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्यवेयर, हम केवल आंगनबाड़ी केन्द्र बनाकर केवल पुष्टाहार देने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से और इसी तरह से हमारी 73,28,000 प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन्स को भी एनरोल्ड किया जा चुका है ।

18.00 hrs

HON. CHAIRPERSON : Shri Jagdambika Pal ji, you may continue next time when we will be taking up this Resolution again.

HON. CHAIRPERSON : Now, I need the consent of the House to extend the time of the House for taking up the '*Zero Hour*'. We would now be taking up some more issues relating to the '*Zero Hour*' and so the time of the House may be extended till the '*Zero Hour*' is over.

If you all agree, then we can go ahead with that. Does the House agree to the extension of the time of the House till the '*Zero Hour*' is over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended till the '*Zero Hour*' is over.

Smt. Jaskaur Meena.